संख्या: 7/2022/बी-1- 287 /दस-2022

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,

अपर मुख्य सचिव, वित्त

एवं वित्त आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 05 अप्रैल, 2022

विषय : राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य पोषित योजनाओं की धनराशि के अन्तरण, उपयोग एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय राज्य पोषित-योजनाओं का क्रियान्वयन बैंक खातों के माध्यम से प्रशासकीय विभागों के नियंत्रणाधीन संस्थाओं द्वारा किया जाता है तथा योजनान्तर्गत धनराशि के उपयोग एवं अनुश्रवण की सूचना विभाग स्तर पर उपलब्ध नहीं होती। विभिन्न योजनाओं की धनराशि एक ही बैंक खाते में अन्तरित होने के कारण योजनाओं हेतु अन्तरित धनराशि के सापेक्ष उपयोग की गई धनराशि की सूचना उपलब्ध न होने के कारण उनका अनुश्रवण नहीं हो पाता।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की ऐसी योजनायें, जिनमें विभागों द्वारा बैंक खाते में धनराशि अन्तरित करते हुये व्यय किया जाता है, ऐसी योजनाओं की धनराशि के अन्तरण, उपयोग व अनुश्रवण के सम्बन्ध में (भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु PFMS के माध्यम से लागू SNA व्यवस्था की भाँति) निम्नवत् व्यवस्था लागू की जाती है :-

(i) ऐसी राज्य पोषित योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा समय-समय पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्धी आदेशों के अधीन निर्गत की जाएगी।

(ii) योजनाओं के संचालन हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

(iii) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि के अन्तरण, उपयोग व अनुश्रवण विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 6/2021/बी-1-499/ दस-2021, दिनाँक 24 जून, 2021 के प्रस्तर-4 के अनुसार राष्ट्रीयकृत/ शिड्यूल्ड कामर्शियल बैंक, जिनकी जनपद स्तर पर शाखायें उपलब्ध हों, में योजना का नोडल बैंक खाता खोला जायेगा।

(iv) नोडल एकाउन्ट ऐसे ही बैंक में खोले जायेगें जहाँ आई.टी.सिस्टम तथा पूर्णतया विकसित एम.आई.एस. सिस्टम उपलब्ध हो ताकि धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित समस्त सूचनायें राज्य सरकार द्वारा वांछित interface पर real time आधार पर उपलब्ध करायी जा सके। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये विभिन्न शिड्यूल्ड कामर्शियल बैंक, जिनकी जनपद स्तर पर शाखायें उपलब्ध हैं, में योजना के नोडल बैंक खाते खोले गये हैं। प्रशासकीय विभागों द्वारा उसी तरह राज्य पोषित योजनाओं के लिये नोडल बैंक खाता खोले जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

(v) योजनावार खोले गये नोडल खाते के माध्यम से आवश्यकतानुसार धनराशि भुगतान करने हेतु जनपदवार "जीरो बैलेन्स" के सब्सिडीयरी खाते खोले जा सकेगें, जिनमें भुगतान की अधिकतम सीमा पूर्व निर्धारित होगी यह सीमा धनराशि के उपयोग के साथ घटती जायेगी।

(vi) वित्तीय वर्ष के अन्त में सब्सिडीयरी एकाउन्ट में अप्रयुक्त धनराशि को नोडल एकाउन्ट में तत्काल अन्तरित कर दिया जायेगा तथा संबंधित विभाग द्वारा अप्रयुक्त धनराशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को अलग-अलग चालान के माध्मय से राज्य की समेकित निधि में जमा कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vii) यदि योजना हेतु पूर्व में कोई बैंक खाता खुला है और उसमें अप्रयुक्त धनराशि पड़ी हुयी है तो अप्रयुक्त धनराशि को ब्याज सहित अलग अलग चालानों के माध्यम से राज्य की समेकित निधि में जमा कराया जाना होगा।

(viii) योजना के बैंक खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज राज्य की आय होगी तथा उसे समेकित निधि में सम्बन्धित बैंक द्वारा जमा कराया जायेगा।

(ix) योजनान्तर्गत धनराशि का एकमुश्त आहरण कदापि न किया जाये। योजना के लिये धनराशि का बैंक खाते में अन्तरण, वास्तविक आवश्कता के आधार पर किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि बैंक खाते में धनराशि अनावश्यक अप्रयुक्त न पड़ी रहे तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में अवश्य कर लिया जाय।

3- उक्त व्यवस्था निम्नलिखित योजनाओं पर लागू नहीं होगी:-

(i) लाभार्थीपरक राज्य योजनायें जिनमें लाभार्थी बैंक खाते में सीधे भुगतान PFMS के DBT मॉड्यूल से किया जा रहा है।

(ii) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशन।

(iii) राज्य पोषित योजनाओं में वेतन भुगतान।

4- उक्त नोडल एकाउन्ट / सब्सिडीयरी एकाउन्ट से संबंधित समस्त सूचना विभाग तथा बैंक शाखा द्वारा राज्य सरकार को real time आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी ताकि राज्य पोषित योजनाओं की धनराशि के अन्तरण, उपयोग तथा अनुश्रवण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त व्यवस्था दिनाँक 01 जून, 2022 से लागू होगी।

भवदीया,

एस.राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव,
वित्त
एवं वित्त आयुक्त।

संख्या: 7 /2022/बी-1- 287 (1)/दस-2022, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित करायें।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त विभाग के समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in